

14.09.17 परमावली पेश हुई। वहील वादी एवं प्रतिवादी अनुपस्थित। दोनों पक्षों को वादी एवं प्रतिवादीगण को बार-बार आज्ञा दिलवायी गयी। अंतिम आज्ञा कि वादी को दोनों पक्षों को वहील व वादी एवं प्रतिवादीगण को इस को न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अतः परमावली अक्षम-धरती अक्षम हाजरी में स्वारिज की जाती है। परमावली जिसका शुमार मानी जाकर वादी तकनीक नम्बर में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादीनी

दिनांक

पद अहकाम

कम डिप्टी कमिश्नर इफतार
दोना



महेश्वरिण्ड आदव
उपखण्ड अधिकारी
नादीनी